

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

09 मार्च, 2022 को पूर्वाह्न 12:00 बजे (पूर्वाह्न) ऑनलाइन आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अक्टूबर - दिसंबर, 2021 की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 09 मार्च, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे अध्यक्ष, वि.रा.भा.का.समिति के निर्देशानुसार डॉ.राकेश मोहन जोशी, अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

क्र.सं.	समिति सदस्य
1.	डॉ. राकेश मोहन जोशी, अधिष्ठाता (डीन)
2.	डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, कुलसचिव
3.	श्री गौरव गुलाटी, उप-कुलसचिव
4.	श्री बिमल कुमार पांडा, प्रणाली प्रबंधक
5.	डॉ. कविता वाधवा, सहायक प्रोफेसर
6.	श्री पीताम्बर बेहरा, वरि. वित्त अधिकारी
7.	सुश्री कविता शर्मा, अनुभाग अधिकारी
8.	सुश्री सुमिता मारवाह, अनुभाग अधिकारी
9.	सुश्री ललिता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
10.	श्री गौरव गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
11.	सुश्री मोहिनी मदान, अनुभाग अधिकारी
12.	श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी
13.	श्री करूण दुग्गल, अनुभाग अधिकारी
14.	श्री जितेंद्र सक्सेना, अनुभाग अधिकारी
15.	श्री द्वैपायन ऐश, अनुभाग अधिकारी (कोलकाता)
16.	सुश्री निर्मला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
17.	सुश्री तनुश्री, वरिष्ठ सहायक
18.	सुश्री जैनब इमाम, वरिष्ठ सहायक
19.	सुश्री चंदा रानी, हिंदी अधिकारी - सदस्य सचिव

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव सह हिंदी अधिकारी ने बैठक में सभी का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारंभ करने की अनुमति ली।

अक्टूबर-दिसंबर, 2021 की तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थित थे।

- | | |
|---|-------------|
| 1. डॉ. रोहित मेहतानी, प्रमुख (सीआरपीडी) | — अवकाश पर. |
| 2. श्री भुवन चन्द्र, उप-कुलसचिव | — अनुपस्थित |
| 3. सुश्री नलिनी मेशराम, सहायक उप- कुलसचिव | — अवकाश पर |
| 4. सुश्री अमिता आनन्द, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | — अवकाश पर |

अनुवर्ती कार्यवाई हेतु बिंदु निम्न प्रकार हैं:-

सदस्य सचिव, हिंदी अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यवृत्त पर किसी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं उठायी गयी। समिति ने सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की। बैठक की कार्यसूची के मदों पर चर्चा से कार्यवाही शुरू की गई।

मद संख्या-1. प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शत-प्रतिशत अपना कार्य हिंदी में किए जाने संबंधी आदेश जारी किया जा सकता है।

हिंदी के कार्य में गिरावट को देखते हुए प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करने हेतु कार्मिकों को आदेश जारी किए जाएं। ताकि हिंदी के कार्य की प्रतिशतता बढ़े।

(कार्रवाई- हिंदी कक्ष)

मद संख्या-2. सभी विभागों/अनुभागों में राजभाषा हिंदी के कार्यकलापों में हिंदी टिप्पण की प्रतिशतता बढ़ाई जानी चाहिए व हस्ताक्षर हिंदी में ही किए जाए।

हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। जो कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टिप्पण पर्याप्त नहीं है। सभी अनुभाग/विभाग अपनी तरफ से पत्राचार बढ़ाने, टिप्पणी लिखने में वृद्धि करें व हिंदी में ही हस्ताक्षर करने हेतु निर्देश दिय गए।

(कार्रवाई- समस्त अनुभाग/विभाग)

मद संख्या-3. धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागजपत्रों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाना।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी कागजपत्रों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं। इसका सख्ती से पालन करें और धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी ही जारी किए जाए। इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए एवं सभी अनुभाग/विभाग एक अलग फाईल बनाकर विभाग रिकॉर्ड में रखें।

(कार्रवाई- समस्त अनुभाग/विभाग)

मद संख्या - 4 : सभी विभागों/अनुभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़े का सही से मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किए जाएं।

सभी विभाग/अनुभाग को निर्देश दिए कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दिए जाने वाले आंकड़े की जांच करने के बाद सही मूल्यांकन करते हुए निर्धारित अवधि में हिंदी कक्ष को प्रस्तुत किए जाएं। राजभाषा हिंदी के प्रति अपने-अपने लक्ष्यों को पूरा करना हम सभी का दायित्व है। तिमाही भरी जाने वाली रिपोर्ट में आंकड़ें प्रमाणिक होने चाहिए। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो हिंदी अनुभाग इसे अध्यक्ष के ध्यान में लाए व उचित कार्रवाई की जाए।

(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)

मद संख्या - 5 : संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के कंप्यूटरों में हस्ताक्षर को डिफॉल्ट रूप से द्विभाषी किया जाना।

संस्थान के सभी विभाग/अनुभाग अधिकारियों के कंप्यूटर में अभिवादन व हस्ताक्षर को डिफॉल्ट रूप से द्विभाषी किया जाना अनिवार्य है। इसे तत्काल आईटी विभाग की मदद से पूर्ण किया जाए।

(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)

मद संख्या - 6 : संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों द्वारा वर्ष 2021 - 22 की गृह पत्रिका 'यज्ञ' हेतु रचनाएं व गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

'यज्ञ' पत्रिका में संस्थान के सभी सदस्यों व उनके विभाग की गतिविधियों का योगदान अपेक्षित है। 'यज्ञ' पत्रिका में गतिविधियों की रिपोर्ट हेतु सभी अनुभाग/विभाग के अधिकारियों को तत्काल भेजने हेतु निर्देश दिए एवं अधिकारियों को अपने विभाग के कार्मिकों को रचनाएं देने हेतु प्रेरित किया जाए। 'यज्ञ' पत्रिका में महान कवियों, रचनाकारों की रचनाएं, कहानियां, जीवनी आदि को उसका संदर्भ देते हुए पत्रिका में शामिल किया जाए। पत्रिका में संस्थान के बाहर से भी कार्मिकों, विद्वानों, अध्यापकों व छात्रों के लेख मँगवाए जा सकते हैं।

(कार्रवाई - समस्त अनुभाग/ विभाग)

मद संख्या - 7 : हिंदी टंकण प्रशिक्षण हेतु 01 व हिंदी आशुलिपिक हेतु 02 कर्मचारी शेष है।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क करके प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों को नामित किया जाए और इनका प्रशिक्षण यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष)

मद संख्या - 8 : हिंदी कक्ष द्वारा कर्मचारियों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने व प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिदिन ईमेल द्वारा राजभाषा अभिव्यक्ति भेजना शुरू किया गया है।

हिंदी कक्ष द्वारा प्रतिदिन ई - मेल के माध्यम से सभी विभागों/ अनुभागों को आज का शब्द/ विचार/ वाक्यांश/ अभिव्यक्तियाँ भेजने हेतु प्रशंसा की गई एवं इस तरह के कार्य को करने हेतु प्रोत्साहित किया गया ताकि कर्मचारियों अधिकारियों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। मुख्य द्वार पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर भी हिंदी की राजभाषा अभिव्यक्ति को प्रतिदिन डिस्प्ले किया जाए।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष)

मद संख्या - 9 : अनुमोदन उपरांत छमाही प्रोत्साहन योजना पुनः शुरू की जा सकती है।

प्रोत्साहन योजना को पुनः शुरू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया एवं छःमाही प्रोत्साहन योजना में पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के लेखों के कार्य को भी इसमें शामिल किया जाए।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष)

मद संख्या - 10 : हिंदी का अधिकाधिक कार्य करने हेतु हिंदी अधिकारी द्वारा दिल्ली व कोलकाता में निरीक्षण एवं कार्यशाला किया जाना।

दिल्ली एवं कोलकाता में निरीक्षण एवं कार्यशाला हेतु अनुमोदन प्रदान किया। निरीक्षण के दौरान हिंदी के कार्य की जांच की जानी चाहिए एवं कार्मिकों को अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष)

मद संख्या - 11 : सोशल साइट पर हिंदी में अपलोड किया जाना।

सोशल साइट पर भी हिंदी का प्रचार - प्रसार करने हेतु गतिविधियों को हिंदी में भी अपलोड किए जाने हेतु निर्देश दिए गए जिससे राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार हो सके।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष व संबंधित विभाग/ अनुभाग)

मद संख्या - 12 : संस्थान की वेबसाइट का पूर्णतः द्विभाषी किया जाना।

संस्थान की वेबसाइट को नियमित अंतराल पर हिंदी अधिकारी द्वारा आईटी विभाग के सहयोग से द्विभाषी रूप में अद्यतन किया जाता है। संस्थान की वेबसाइट पर राजभाषा अभिव्यक्ति को अपलोड किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया व इसकी भूरी- भूरी प्रशंसा भी की गई। निर्देश दिए गए कि संबंधित विभाग वेबसाइट पर जो भी सामग्री अपडेट करता है, उसकी एक प्रति हिंदी कक्ष को अवश्य भेजे। ताकि उसे द्विभाषी करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(कार्रवाई - समस्त विभागों के इनपुट के आधार पर आईटी विभाग के सहयोग से हिंदी कक्ष)

मद संख्या - 13: अनुमोदन उपरांत 'यज्ञ' पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लेखकों के लिए 'राजभाषा पुरस्कार' योजना प्रारंभ की जा सकती है।

'यज्ञ' पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के लेखों के लिए राजभाषा पुरस्कार योजना प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को छःमाही प्रोत्साहन योजना के साथ मिलाकर दिए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष)

मद संख्या - 14 : नराकास के तत्वाधान में संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं प्रारंभ की जा सकती हैं।

नराकास के तत्वाधान में संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव की सराहना की गई। भविष्य में ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। जिससे संस्थान का नाम रोशन हो। राजभाषा हिंदी के प्रति दायित्व को हम सभी को मिलकर बखूबी निभाना चाहिए।

(कार्रवाई - हिंदी कक्ष)

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।